राष्ट्रीय पशुधन मिशन

उद्देश्य

1. छोटे जुगाली करने वाले पशु, कुक्कुट और सूअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन
2. नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि
3. मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि
4. चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता के माध्यम से मांग को काफी हद तक पूरा करने के लिए चारे और फ़ीड की उपलब्धता बढ़ाना
5. मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
6. किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना
7. मुर्गी, भेड़, बकरी पालन और चारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना
8. किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण
9. उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना

मिशन डिजाइन

पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन में तीन उप-मिशन होंगे

पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन

फ़ीड और चारा विकास पर उप-मिशन

नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन

इसका लक्ष्य भेड़, बकरी, सूअर और चारा और चारा क्षेत्र, विस्तार गतिविधियों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाली संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों को प्रोत्साहित करना है

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान सहकारिताएं (एफसीओ) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियां

पात्रता मानदंड

उद्यमी खुद प्रशिक्षित हो या परियोजना चलाने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त किया हो	स्वीकृत ऋण या स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं में बैंक गारंटी हो	स्वयं की भूमि हो या लीज पर ली गई भूमि हो	के वाई सी से संबंधित दस्तावेज हों

ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना

समर्थित गतिविधियां : हैचिंग अंडों और चूजों के उत्पादन और उन चूजों को मदर यूनिट में चार सप्ताह तक पालने के लिए पैरेन्ट फार्म, ग्रामीण हैचरी, ब्रूडर सहित मदर यूनिट की स्थापना करने के लिए (न्यूनतम 1000 पैरेन्ट लेयर्स के साथ)

वित्तीय सहायता उपलब्ध : 25 लाख रू.

जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना

समर्थित गतिविधियां : भेड़ और बकरी प्रजनन यूनिट की स्थापना करने के लिए ।

वित्तीय सहायता उपलब्ध : 50 लाख रू.

सूअर नस्ल विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना

समर्थित गतिविधियां : केन्द्र या राज्य सरकार / विश्वविद्यालय के सूअर ब्रीडिंग फार्मों अथवा स्थानीय किसानों से उच्च वंश के गुणवत्ता वाले प्रजनन योग्य न्यूनतम 100 शूकरियों और 10 सूअरों के साथ ब्रीडर फार्म की स्थापना करने के लिए।

वित्तीय सहायता उपलब्ध : 30 लाख रू.

पशु आहार और चारे के क्षेत्र में उद्यमिता

समर्थित गतिविधियां : हे / साइलेज / कुल मिश्रित राशन (टी.एम.आर.) तैयार करने, चारा ब्लॉक बनाने या चारे के भंडारण की सुविधा के लिए चारा मूल्यवर्धन इकाई स्थापित करने के लिए।

वित्तीय सहायता उपलब्ध : 50 लाख रू.

उपर्युक्त सभी योजनाओं के लिए टिप्पणी :
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से दो समान किश्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की सीमा तक 50% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया

www.nlm.udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना

↓

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवेदन की स्क्रीनिंग → **ऋणदाता द्वारा ऋण की स्वीकृति**

↓

राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (एस.एल.ई.सी) द्वारा अनुशंसा ← **पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सब्सिडी की स्वीकृति**

↓

सब्सिडी को जारी करना और उसका वितरण

विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट **www.dahd.nic.in** को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।

विवरण् के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

सत्यमेव जयते

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार